उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

UPESSC, PRAYAGRAJ

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा(UP-TET), 2026

विज्ञापन संख्या– 10 / 2026

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, 23 एलनगंज,
प्रयागराज–211002

www.upessc.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज–211002

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं0
1.	महत्वपूर्ण तिथियाँ	2
2.	उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) के आयोजन की पृष्ठभूमि	2
3.	उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) की अनिवार्यता	3
4.	अनुप्रयोज्यता	3
5.	ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना	3–4
6.	परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश	5
7.	आवेदन शुल्क	5
8.	पात्रता	5–8
9.	परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम	8
10.	अर्हक अंक	9
11.	उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) प्रमाण–पत्र की वैधता तथा वितरण	9
12.	परीक्षा केन्द्र	9
13.	लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश	9–11
14.	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश	11
15.	अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश	11–12
16.	परिशिष्ट 1 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप	13
17.	परिशिष्ट 2 : अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र का प्रारूप	14
18.	परिशिष्ट 3 : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण–पत्र का प्रारूप	15–16
19.	परिशिष्ट 4 : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण–पत्र का प्रारूप	17
20.	परिशिष्ट 5 : दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का प्रारूप	18–19

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज–211002

विज्ञापन संख्या : 10 / 2026

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ :–

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	24.11.2026
ऑनलाइन पंजीकरण (O.T.R.) / आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	24.11.2026
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	23.12.2026
ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	27.12.2026
परीक्षा तिथि	26 व 27 फरवरी, 2027

2. उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) के आयोजन की पृष्ठभूमि :–

I. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–23 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन०सी०टी०ई०) द्वारा दिनांक 23–अगस्त, 2010, दिनांक 29 जुलाई, 2011 एवं दिनांक 28 जून, 2018 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–2 (एन) में दिये गये विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन एन०सी०टी०ई० द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सरकार द्वारा किया जायेगा। एन०सी०टी०ई० द्वारा दिनांक 11.02.2011 को शिक्षक पात्रता परीक्षा सम्पादित कराये जाने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

II. उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु उ0प्र0 शासन के बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–5 / 2021 / 192 / अरसठ–4–2021–9(16) / 2020 दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 एवं आगामी उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु संशोधित / नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये है। उ0प्र0 पात्रता परीक्षा प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता एवं ई०डब्ल्यू०एस० अर्हक अंक में परिवर्तत के दृष्टिगत् उ0प्र0 शासन के बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–233 / 2021 / 192 / अरसठ–4–2021–9(16) / 2020 दिनांक 13 मार्च, 2026 निर्गत किया गया है।

III. **उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम–2023 दिनांक 21 अगस्त, 2023 के नियम–9(ख)** में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु आयोग को अधिकृत किया गया है।

IV. परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग, चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने सम्बन्धित दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–6 / 2024 / 148 / सामान्य / 47 / का–4–2024 कार्मिक अनुभाग–4 दिनांक 19 जून, 2024 तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में किया जायेगा।

V. **एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने हेतु एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में TET को शामिल करने का तार्किक आधार इस प्रकार है :–**

- **a.** यह भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा।
- **b.** यह शिक्षा संस्थानों व इन संस्थानों के शिक्षक और छात्रों को अपने निष्पादन स्तरों से आगे सुधार के लिए प्रेरित करेगा।
- **c.** इससे सभी सम्बन्धित को एक सकारात्मक संकेत जायेगा कि सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष जोर दे रही है।

3. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) की अनिवार्यता :–

3.1 द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) एवं उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों तथा उक्त विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापकों द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

3.2 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET)–2026 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम/स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन पर विचार किये जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

4. अनुप्रयोज्यता :– उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अथवा अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे :–

4.1 प्राथमिक स्तर :–

I. ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो;

II. स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी हो;

III. जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो;

IV. ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

4.2 उच्च प्राथमिक स्तर :–

I. ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो;

II. स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संचालन हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की गयी हो;

III. जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो;

IV. ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो तथा किसी भी राष्ट्रीय बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो।

नोट :– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–1385/2025 व इसके साथ अन्य अपील्स में दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को पारित आदेश से आच्छादित सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र हैं।

5. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना :–

5.1 आयोग के **विज्ञापन सं0–10/2026** द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना है।

5.2 प्रश्नगत पात्रता परीक्षा हेतु OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन पद्धति (OTR Based Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएँगें। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को One Time Registration(OTR) करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही आवेदन किया जा सकेगा।

5.3 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए User Manual हिन्दी व अंग्रेजी में तथा प्रशिक्षण वीडियो (Tutorial Videos) आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आवेदन करने से पूर्व देखा जा सकता है।

5.4 ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से "सबमिट" हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेन्डर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही–सही भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अन्तिम हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

5.5 आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में पृथक से कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करना चाहिये जब सन्तुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

5.6 निर्धारित साइज की फोटो तथा स्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड न करने एवं घोषणा–पत्र स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी का आवेदन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

5.7 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गयी घोषणा (Declaration) सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयन/परीक्षाओं से प्रतिवारित (डिबार) करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5.8 आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अनिवार्य अर्हताएँ अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली–भाँति सुनिश्चित कर लें कि वे उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा–2026 (UP-TET) के लिए विज्ञापन में दी गयी सभी अर्हताएँ धारित करते हैं। पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5.9 हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

5.10 अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में भरा जाना है।

5.11 आवेदन पत्र में त्रुटि निवारण हेतु संशोधन करने का अवसर मिलेगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने पर आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन ''सबमिट'' करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही स्वीकार्य होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे।

5.12 अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर व पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, जो JPG या JPEG फार्मेट में होने चाहिए।

5.13 सभी अपलोड किये जाने वाले प्रमाण–पत्र/अभिलेख PDF Format में होने चाहिए।

5.14 आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के पश्चात **प्रस्तर–4** में उल्लिखित शुल्क जमा करना होगा।

5.15 किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयन से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

5.16 अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश :–

6.1 अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हुए परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग

6.2 अभ्यर्थी क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए पंजीकरण के तुरंत बाद पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

6.3 क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करने की दशा में भुगतान की पुष्टि भुगतान के बाद बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। भुगतान की पुष्टि बैंक द्वारा किये जाने के उपरांत ही परीक्षा शुल्क का भुगतान मान्य होगा।

6.4 शुल्क भुगतान करने के उपरान्त शुल्क प्राप्ति रसीद को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी One Time Registration व भुगतान कम्पलीट करने के पश्चात आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं करता तो उसका आवेदन मान्य नहीं होगा।

7. आवेदन शुल्क :–

उक्त पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क निम्नवत् निर्धारित है :–

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क (प्राथमिक स्तर)	आवेदन शुल्क (उच्च प्राथमिक स्तर)
1.	सामान्य/अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य	**1,000.00**	**1,000.00**
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	**500.00**	**500.00**
3.	दिव्यांगजन	**300.00**	**300.00**

8. पात्रता :– उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET), 2026 में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे :–

8.1 कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता :–

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षामित्रों का द्विवर्षीय बी०टी०सी० में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०)/भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी०एड० विशेष शिक्षा) में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी०टी०सी० उर्दू विशेष प्रशिक्षण में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक **11.08.1997** के पूर्व के मो अल्लिम–ए– उर्दू उपाधि धारक (उर्दू शिक्षक हेतु)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत ऐसे विशेष शिक्षक (CWSN) अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ–साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, डी०एड० विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास एक्टिव सी0आर0आर0 नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य होगा।

8.2 कक्षा 6 से 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता :–

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एड०) में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एड०) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त

संस्था/भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) के बी०एड० विशेष शिक्षा में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एन०सी०टी०ई०/यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी०एड०/बी०ए०बी०एड० में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एन०सी०टी०ई०/यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी०एस०सी०एड०/बी०एस०सी०बी०एड० में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा) में प्रविष्ट/अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत ऐसे विशेष शिक्षक (CWSN) अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ–साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, बी०एड० विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास एक्टिव सी0आर0आर0 नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी :–

i. उ0प्र0 शासन द्वारा आरक्षण नियमों से आच्छादित सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में छूट अनुमन्य होगी।

ii. इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा डी०एड० (विशेष शिक्षा) और बी०एड० (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।

iii. डी०एड० (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

iv. ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान/गणित, विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए लागू है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० विनियम दिनांक 03.11.2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा इत्यादि के शिक्षकों के लिए लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेगे जब तक एन०सी०टी०ई० ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करती है।

v. ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी०एड०) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) के अन्तिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अनन्तिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा और उनका यू०पी०टी०ई०टी० प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।

vi. ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

9. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम :–

9.1 परीक्षा योजना :–

I. परीक्षा की अवधि **2:30 घण्टा** अर्थात् 150 मिनट होगी।

II. समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे।

III. प्रश्नगत पात्रता परीक्षा में नकारात्मक मूल्यांकन(Negative Marking) नहीं होगा।

IV. प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा।

V. प्रश्न–पत्र का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी होगा (भाषा के विषयों को छोड़कर)

9.2 पाठ्यक्रम :–

उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) हेतु लिखित परीक्षा की विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या एवं अंक निम्नानुसार हैं :–

संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQ	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
4.	गणित (अनिवार्य)	30 MCQ	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन (अनिवार्य)	30 MCQ	30
कुल		**150** MCQ	**150**

उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) हेतु लिखित परीक्षा की विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या एवं अंक निम्नानुसार हैं :–

संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQ	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
4.	**(क)** गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान **(ख)** सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन **(ग)** अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQ	60
कुल		**150** MCQ	**150**

नोट :– दोनों स्तर की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

10. **अर्हक अंक :–**

- उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंको का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
- उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक स्वयं/विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक 55 प्रतिशत अर्थात पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।
- उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्डों में से एक है।

विशेष नोट :– यदि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करायी जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक ही अर्हक अंक हेतु मान्य किये जायेंगे। आवेदन पत्रों की अत्यधिक संख्या होने की स्थिति में शासनादेश संख्या–6/2024/148/सामान्य/47/का–4–2024 में विहित प्राविधानों के क्रम में परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित करायी जाती है तो प्राप्तांकों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु प्रसामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर नार्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना/विज्ञप्ति संख्या–शि0से0आयोग/2018/2025–26 दिनांक 26.02.2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत (Normalized) अंक ही अर्हक अंक हेतु मान्य होंगे।

11. **उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा(UP-TET) प्रमाण–पत्र की वैधता तथा वितरण :–**

I. उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–392/अरसठ–4–2021–9(16) बेसिक शिक्षा अनुभाग–4, लखनऊ दिनांक 16 जून, 2021 के क्रम में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण–पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किये जाने की तिथि से आजीवन(Lifetime) तक प्रभावी होगी।

II. आयोग द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण–पत्र का वितरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Digilocker) के माध्यम से किया जायेगा।

III. प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थी की फोटो एवं आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा। अतः आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें।

12. **परीक्षा केन्द्र :–** परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण यथा आवश्यकतानुसार जनपद मुख्यालयों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को कोई भी केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र के जनपद की सूचना परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व तथा परीक्षा केन्द्र की सूचना परीक्षा से 3 दिन पूर्व आयोग के वेबसाइट पर दिये गये लिंक से प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

नोटः– यदि कोई अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र से इतर केन्द्र में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर–पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेग तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13. **लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश :–**

13.1 परीक्षा की तिथि, स्थान, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को SMS, ई–मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट/पोर्टल

के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

13.2 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को मुख्य पृष्ठ पर दिए गए "Admit Card Download" बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर/मोबाइल नम्बर तथा जन्म तिथि अंकित करनी होगी।

13.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देंगे, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि प्रमाण–पत्र भी जारी कर दिया गया हो, तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

13.4 कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं मे प्रतिवारित किया जा सकता है।

13.5 अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में काला बाल प्वाइंट पेन अपने साथ अवश्य लाएगें तथा ओ0एम0आर0 शीट के आयताकार खानों व गोलों को काले बाल प्वाइंट पेन सें ही भरेगें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइन्ट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक गोला काला करने पर उसका न तो मूल्यांकन होगा और न उस पर कोई अंक ही दिये जाएगें।

13.6 परीक्षा के दौरान ओ० एम०आर० शीट पर मिटाने के लिए इरेजर/नाखून/ब्लेड/सफ़ेद तरल पदार्थ/(Whitener) आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार से क्षति ग्रस्त किया जाना निषिद्ध है। इनके किसी भी प्रयोग से ओ०एम०आर० शीट निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

13.7 अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर–पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना से सम्बन्धित खानों को सही–सही भरें तथा उनसे सम्बन्धित गोलों को ही काला करें, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर–पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा।

13.8 उत्तर–पत्रक (OMR Answer Sheet) में सम्बन्धित गोलों को ही पूरी तरह काला करें इसके अतिरिक्त किसी भी गोलों में कोई अन्य निशान जैसे डॉट, स्याही के निशान या कोई भी चिन्ह अंकित न करें अन्यथा उत्तर–पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

13.9 अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से उत्तर–पत्रक (OMR Answer Sheet) के प्रारूप को डाउनलोड करके परीक्षा से पूर्व ओ0एम0आर0 की प्रविष्टियों को भरने का अभ्यास कर लें, जिससे परीक्षा के दौरान ओ0एम0आर0 को भरने में त्रुटियाँ न हो।

13.10 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 एवं 08 सितम्बर, 2022 के अनुसार श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा दी जायेगी। श्रुतलेखक अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना

पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व अवश्य करा लें, ताकि उनके बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथा समय की जा सके। उक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुतलेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

13.11 लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले कि वे निर्धारित पात्रताएँ पूरी करते हैं। निर्धारित पात्रता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हों, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से **उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET)** हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

13.12 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश :–

14.1 उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

14.2 एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।

14.3 आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें इन वर्गों को मिलने वाली छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

14.4 आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित जाति प्रमाण–पत्र उ0प्र0 शासन के निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

14.5 ऐसे अभ्यर्थी जो उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण–पत्र शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुक्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर हो।

14.6 ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण–पत्र उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो।

14.7 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग कार्यालय के ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी.सी.–II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2019/4/1/2002/का–2/19टी.सी.–II, दिनांक 14.03.2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

15. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश :–

15.1 ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/पति हैं अथवा ऐसी महिला/पुरुष अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया है, जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी/पति है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

15.2 अभ्यर्थी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में वाद दायर होने अथवा न होने या मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति में यदि भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा सूचना न दिये जाने अथवा छुपाये जाने या गलत सूचना दिये जाने संबंधी जानकारी आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग द्वारा

अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

15.3 किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम आयोग को प्रत्यावेदन देना होगा।

15.4 आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास (परीक्षा की सुचिता को प्रभावित करने सम्बन्धी प्रयत्न/अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा के किसी भी चरण में प्रतिरूपण Impersonation सम्बन्धी प्रकरणों सहित) जो कि भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (जिसके अन्तर्गत आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है)** व अन्य अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है।

15.5 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होने की स्थिति में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर अथवा ई–मेल आई०डी० पर सम्पर्क कर कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं :–

	Technical Support (Application Related Issue)	Bank Payment Support (Payment Related Issue)				UPESSC Commission Support (Qualification Related Issue)
		UNION BANK	CANARA BANK	ICICI BANK	SBI	
Mob. No.	9228136723 8071582545 (09:30 AM – 06:00 PM) (Monday – Saturday)	9137551970 (09:30 AM – 06:30 PM) (Working Days)	8173007701 8004930390 (09:30 AM – 06:30 PM) (Working Days)	8879370946 8657723283 (09:30 AM – 06:30 PM) (Working Days)	9838255990 (10:00 AM – 05:00 PM) (Working Days) 0222-65361671 (24*7 Customer Care Service)	0532-2466851 (10:00 AM – 05:00 PM) (Monday – Saturday)
E-mail	Support@upessc.org	pgsupport@billdesk.com	dssrovns2@canarabank.com cb0627@canarabank.com care@payu.com	Amita.kurmi@icici.bank.in Pawan.si@icici.bank.in	sbiepay@sbi.co.in kumar.gaurav6@sbi.co.in	upesscprayagraj@gmail.com

नोट :– **परिशिष्ट–1 से परिशिष्ट–5** के प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट–1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुमूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ/संविधान (अनुसुचित जनजाति, उत्तर प्रदेश आदेश 1967) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के..... ग्राम.....तहसील..... नगर..... जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....
दिनांक.....
मुहर .....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट–2

उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....निवामी ग्राम .....तहसील.....नगर..... जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोत्तक अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची दो जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....ग्राम ..... तहसील.....नगर..... जिला..... ..... में सामान्यता रहता हैं।

स्थान..... हस्ताक्षर.....

दिनांक..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट–3

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पति/पुत्री ..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....

तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फाटोग्राफ

हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र

स्वंय घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू ..... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट–4

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लियेआरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .....के आश्रित हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी.....

सील.....

परिशिष्ट–5

The form of certificate to be produced by Physically Handicapped candidates

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No. ..... Date:.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. ….....son/wife/daughter of Shri..... age .....sex .....identification mark(s)……

.....is suffering from permanent disability of following category :

A. Locomotoror Cerebral Palsy :

(i) BL—Both legs affected but not arms

(ii) BA—Both arms affected
- (a) Impaired reach
- (b) Weakness of grip

(iii) BLA—Both legs and both arms affected

(iv) OL—One leg affected (right or left)
- (a) Impaired reach
- (b) Weakness of grip
- (c) Ataxic

(v) OA—One arm affected
- (a) Impaired reach
- (b) Weakness of grip
- (c) Ataxic

(vi) BH—Stiff back and hips (cannot sit or stoop)

(vii) MW—Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness orLow Vision :

(i) B—Blind

(ii) PB—Partially blind

C. Hearing impairment :

(i) D—Deaf

(ii) PD—Partially deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of.....years..... months.*
3. Percentage of disability in his/her case is.....Percent.

4. Shri/Smt./Kum. .....meets the following physical requirements for discharge of his/her duties :—

(i)	F—Can perform work by manipulating with fingers.	Yes/No
(ii)	PP—Can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii)	L—Can perform work by lifting.	Yes/No
(iv)	KC—Can perform work by kneeling and crouching.	Yes/No
(v)	B—Can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S—Can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST—Can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W—Can perform work by walking.	Yes/No
(ix)	SE—Can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H—Can perform work by hearing/speaking.	Yes/No
(xi)	RW—Canperformworkbyreadingandwriting.	Yes/No

(Dr.....)	(Dr. .....)	(Dr. .....)
Member	Member	Chairman
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/Head of Hospital (With seal)

NOTE* Strike out which is not applicable